बिहार सरकार
आपदा प्रबंधन विभाग

ब्लॉक–सी0, सरदार पटेल भवन, जवाहरलाल नेहरू मार्ग (बेली रोड), पटना–800023
दूरभाषः 0612 2294201, 2294202(फैक्स), ई–मेलः secy-disastermgmt-bih@nic.in

पत्रांक–01 / प्रा०आ०(COVID-19)–15 / 2020 / 1520 / आ0प्र0 पटना–23, दिनांक– 30-04-2020

प्रेषक,

प्रत्यय अमृत,
प्रधान सचिव।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी,
बिहार।

विषय :– लॉकडाउन की अवधि में अंतर्जिला आवागमन हेतु आवश्यक प्रबंधन करने के संबंध में।

महाशय,

भारत सरकार के पत्र संख्या–40-3/2020-DM-I (A) दिनांक–29.04.2020 के आलोक में लॉकडाउन की अवधि में बाहर से आ रहे मजदूर, छात्र एवं अन्य व्यक्तियों के अंतर्राज्यीय आवागमन की सशर्त अनुमति प्राप्त है। इसके आलोक में सीमावर्ती जिलों तथा अन्य सभी जिलों में वाहन प्रबंधन की विशेष आवश्यकता होगी। मुख्य रूप से सीमावर्ती जिले से लोगों को लाने के लिए वाहनों की आवश्यकता होगी तथा वर्त्तमान में सीमावर्ती जिलों से जो लोग अभी विभिन्न जिलों में जा रहे हैं, उन्हें उनके संबंधित प्रखण्डों के क्वॉरंटीन कैम्पों में पहुँचाने की भी आवश्यकता होगी।

अतः उचित होगा कि निर्वाचन के समय अपनाये जाने वाले वाहनों के प्रबंधन से संबंधित कार्रवाई सुनिश्चित की जाय– यथा पर्याप्त संख्या में छोटे, मध्यम एवं बड़े वाहनों को एकत्रित कर लिया जाय। इसके लिए जिला मुख्यालय के किसी बड़े मैदान, स्टेडियम इत्यादि जगहों जहाँ Controlled आवागमन हेतु Gates हो, का ही चयन किया जाय जिसमें चालकों के आवासन, भोजन इत्यादि की भी समुचित व्यवस्था रहे। चयनित वाहन केन्द्रों में बिजली, शौचालय की समुचित व्यवस्था होनी चाहिए तथा चालकों के लिए मास्क एवं सेनिटाईजर भी उपलब्ध होना चाहिए। सभी वाहनों के लिए लॉगबुक का संधारण एवं इंधन हेतु कूपन की भी व्यवस्था सुनिश्चित होनी चाहिए। इन सभी वाहन केन्द्रों पर लॉउडस्पीकर और बेरिकेडिंग की भी व्यवस्था अनिवार्य रूप से होनी चाहिए। इस मद में होने वाला व्यय "जनसंख्या निष्क्रमण मद" से किया जायेगा।

विश्वासभाजन,

प्रधान सचिव

ज्ञापांक–01 / प्रा०आ०(COVID-19)–15 / 2020 / 1520 / आ0प्र0 पटना–23, दिनांक– 30-04-2020

प्रतिलिपिः–राज्य परिवहन आयुक्त, बिहार को सूचनार्थ। अनुरोध है कि अपने स्तर से अंतर्जिला आवागमन के बेहतर प्रबंधन हेतु विस्तृत मार्गदर्शिका निर्गत करना चाहेंगे।

प्रधान सचिव